है । वे शिकायतें वैध हैं या नहीं, इस बात की जांच की जा रही है जबकि सवाल में यह स्पष्ट पूछा गया था कि 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटकर इतने कठिन सवाल पूछे गये थे कि जिनकों कि असाधारण बुद्धि के विद्यार्थियों ने भी हल करने में असमर्थता व्यक्त की थी तो मात्र उसमें आपने यह बताया कि सवाल 98 नम्बर के थे और उन विद्यार्थियों के दो नम्बर बढ़ा दिये जायेंगे जिन्होंने कम से कम 10 मार्क्स पा लिये हैं। लेकिन महोदया, यह स्पष्ट पूछा गया था कि सवाल पाठ्यक्रम से हटकर पूछे गये हैं इसके साथ तमाम विद्यार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है, वे इससे प्रभावित होंगे अत: इसके बारे में सरकार ने कौन से स्पष्ट उपाय किये हैं । इसके ऊपर आपका कोई उत्तर नहीं आया है । मैं जानना चाहता हूं कि और क्या स्पष्ट उपाय इसके लिए किये गये हैं ? दूसरा एक यह कि क्या इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी कोई निर्णय सरकार को पालन के लिए किसी रिट के माध्यम से दिया है और यदि दिया है तो वह क्या है ?

श्री एल० पो० साहो : महोदया, मैंने उत्तर में बताया कि सरकार ने भी इसमें इनीशियेटिव लेकर गणित के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको बुलाया था और उनसे बातचीत हुई है और सेंट्रल बोर्ड के लोग भी वहां पर मौजूद थे । इसलिए जो सवाल सिलेबस के बाहर पाये जायेंगे उनके बारे में मुनासिब कार्यवाही की जाएगी । लड़कों को उसकी वजह से दिक्कत नहीं होगी जितने अंक के सवाल सिलेबस के बाहर पाये जायेंगे, उनके लिए विद्यार्थियों को कम्पेनसेट किया जाएगा । यह मैंने कहा है और फिर इसको दोहरा रहा हूं ।

श्री आनन्द प्रकाश गौतम : माननीया विद्यार्थियों को कम्पेनसेट करने की बात आप कह रहे हैं और यह भी बताया कि आप भविष्य में इस संबंध में निर्णय लेंगे कि यदि वह पाठ्यक्रम के बाहर के प्रश्न-पत्र में लाफ हुए प्रश्न होंगे, यह निश्चित होगा, तो यह कब तक वह निर्धारित कर पायेंगे कि वह पाठ्यक्रम के बाहर के हैं ? यदि वह निर्धारित हो गया कि यह पाठ्यक्रम के बाहर के हैं, तो क्या माननीय मंत्री इसके लिए कोई ऐसा कदम उठायेंगे कि इस प्रश्न पत्र की परीक्षा दुबारा ली जा सके ?

श्री एल० पो० साही : महोदया, दुबारा परीक्षा लेने में आप्शन देना होगा क्योंकि कुछ विद्यार्थी इस प्रश्न पत्र में भी अच्छा कर चुके होंगे और वे फिर दुबारा बैठना नहीं चाहेंगे--यह भी उसमें एक डिफिकल्टी है । इसलिए हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि उसका फैसला अगले तीनचार दिनों में हो जाएगा कि जितना अंश आउट आफ सिलेबस है, या आउट आफ कोर्स बताया गया है उस अंश के लिए विद्यार्थियों को हम अलग से कम्पेनसेट करें । उसका फार्मूला क्या होगा यह अभी बन कर तैयार नहीं है इस लिए मैं नहीं कह सकता कि किस फार्मूले के आधार पर होगा क्योंकि इस प्रश्न पत्र के अंदर भी बहुत से विद्यार्थी होंगे, जिनके 90 से अधिक नम्बर आये होंगे ।

इसलिए कोई फार्मूला निकाल कर हम यह जरूर देखेंगे कि विद्यार्थियों को आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं हो-- जहां वह जाएं हां इसकी वजह से उनके नम्बर कम नहीं हों ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Fresh Trade agreement between India and Nepal

*383. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI KAPIL VERMA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be plaesed to state:

(a) whether Government propose to conclude a fresh trade agreement with Nepal;

(b) whether Government also proposed to split the trade and transit

treaty with Nepal which was due to be renewed on March 23; if so, what is Government's current thinking about it; and

(c) whether the subject was discussed during the talks with his Nepalese counter part at Kathmandu where he had gone on a private visit if so, what was the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) and (b) The Indo-Nepal Trade Treaty and the Indo-Nepal Transit Treaty expired simultaneously on March 23rd, 1989. The Government have proposed to HMGN (His Majesty's Government of Nepal) that a new unified Trade and Transit Treaty between India and Nepal should be negotiated and concluded.

(c) During the visit of the Minister of External Affairs Shri P. V. Narasimha Rao, to Kathmandu on March 6th, 1989, the Nepalese Foreign Minister mentioned the new Trade and Transit Treaty proposal. However, as their discussions were very brief, no indepth consideration could be given to this matter.

Subsequently, the Foreign Minister of Nepal, Shri Shailendra Kumar Upadhyaya, visited New Delhi on March 26-27, 1989, leading a Nepalese delegation. HMGN have handed over fresh proposals for separate Trade and Transit Treaties to us Negotiations will now be held between the concerned Ministries on both sides to finalise new arrangements for trade and transit. Government's proposal for a single Trade and Transit Treaty remains unchanged.

Journalists Ferried Across to Sri Lanka without Visas

*386. SHRI J. P. JAVALI: Will Minister of EXTERNAL AFFAIRS be please dto state:

(a) whether the Government of India themselves ferry journalists and others across the Indian borders to Sri Lanka without visas, as reported in the Indian Express of 10th March, 1989;

(b) what are the details of others who have been ferried across to Sri Lanka so far without visas since the incident referred to in part (a) above; and

(c) whether it has been done in violation of the laws of Sri Lanka.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) to (c) On a few occasions some jounralists have been taken to Sri Lanka at short notice with the prior consent of the Sri Lankan Government. Since prior permission was taken from the Sri Lanka Government there was no question of violating the laws of Sri Lanka.

दिल्ली में विज्ञान की शिक्षा देने वाले विद्यालय

*387. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री राम नरेश यादव :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के ऐसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में वर्तमान शैक्षिक वर्ष के दौरान विज्ञान शिक्षा की उपेक्षा की गई है, जहां विज्ञान का विषय बारहवीं कक्षा तक पढ़ाया जाता है ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने 1988-89 के शैक्षिक वर्ष में विज्ञान की शिक्षा पर 2.5 करोड़ रुपये खर्च करने का निश्चय किया है ;

(ग) दिल्ली प्रशासन के अधीन इस समय कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बारहवीं कक्षा तक विज्ञान की शिक्षा दी जाती है और इनमें से कितने विद्यालय बालिकाओं के लिए हैं ;

(घ) विज्ञान की शिक्षा देने वाले ऐसे कितने विद्यालय पुनर्वास तथा अनधिकृत बस्तियों में स्थित हैं ; और